

प्रश्न सं. [क. 2088]
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 2088 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट - अ

प्रश्न दिनांक : 19/02/2024

प्रश्नकर्ता :- डॉ. विक्रान्त भूरिया

मध्यप्रदेश में शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को कम करने की कार्ययोजना एवं गतिविधिवार प्रावधानित बजट की जानकारी

शिशु मृत्युदर कम करने की कार्ययोजना—

- प्रदेश में बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु 62 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील है।
- उप जिला स्तरीय सीमॉक संस्थाओं में कम वज़न एवं बीमार नवजात शिशुओं के उपचार हेतु 196 एन.बी. एस.यू. (न्यूबॉर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट्स) की क्रियाशील की गई है।
- प्रदेश में चिन्हांकित प्रसव केन्द्रों के विरुद्ध 1755 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित किये गये हैं। इन इकाईयों के माध्यम से समस्त नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल प्रदाय की जाती है तथा आवश्यक होने पर नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रक्रिया द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की जाती है।
- 28 दिवस से अधिक आयु के गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु 65 पी.आई.सी.यू. स्थापित किये गये हैं।
- नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू.) में कार्यरत चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्सों को संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल में कौशल वृद्धि हेतु सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश में शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्थाओं में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर एवं स्टॉफ नर्सों को एफ.आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण दिया गया।
- नवजात शिशु पुनर्जीवन प्रक्रिया में दक्षता हेतु प्रसव केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टॉफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया गया।
- आई.डी.सी.एफ. :- प्रत्येक वर्ष माह जुलाई-अगस्त में सघन दस्त रोग नियंत्रण परिवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त 5 वर्ष से छोटे बच्चों के परिवारों को दस्त प्रकरणों के बचाव हेतु ओ.आर.एस पैकट एवं जिंक की गोलियां प्रदाय की जाती है।
- प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र, 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में गंभीर कुपोषण उपचार ईकाई तथा अत्यधिक जटिल बच्चे विशेषकर नॉन-रिस्पॉडर सैम बच्चों के उन्नत निदान एवं प्रबंधन हेतु 1 Severe acute Malnutrition Advanced Referral and Treatment (SMART) सेंटर संचालित है जिनमें 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर डब्ल्यू.एच.ओ / आई.ए.पी. मानक अनुसार उपचारित किया जाता है।
- अनीमिया मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 6 माह से 60 माह एवं 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बच्चों में एनीमिया की रोकथाम हेतु आयरन फोलिक एसिड सीरप एवं आयरन फोलिक एसिड गोलियों की उम्र आधारित खुराक दी जाती है।
- दस्तक अभियान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुपूरण हेतु 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों को विटामिन-ए घोल पिलाया जाता है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके।
- नेशनल डीवर्मिंग डे के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्षीय सभी बच्चों को वर्ष में 1 बार एल्बेण्डाजोल गोली खिलाई जाती है, ताकि कृषि संक्रमण जनित रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सके।

उपर्युक्त शिशु स्वास्थ्य पोषण
अभियान का लिए विभिन्न प्रयत्न

- आई.वाय.सी.एफ. प्रशिक्षण मैदानी कार्यकर्ताओं जैसे—आशा एवं ए.एन.एम. को समुचित शिशु एवं बाल आहार संबंधी व्यवहार पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि स्तनपान संबंधी सामुदायिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाई जा सके।
- **दस्तक अभियान** :— प्रदेश में बाल मृत्युदर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की सामुदायिक विस्तार हेतु वर्ष दस्तक अभियान की अवधारणा की गई है, जिसमें 5 वर्ष से छोटे बच्चों तक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की समुदाय के प्रत्येक घर तक विस्तार हेतु एक गृहभेंट आधारित कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। दस्तक अभियान का संचालन प्रतिवर्ष 2 बार दस्त रोग बाहुल्य माह कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। दस्तक अभियान का उचित देखभाल हेतु कंगारू मदर केयर पद्धति की सामुदायिक समझाईश दी जाती है।
- उपरोक्त के संचालन हेतु राशि रु. 9445.06 लाख का बजट रखा गया है।

मातृ मृत्युदर कम करने की कार्ययोजना—

- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कौशल उन्नयन** — गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाये प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनके कैडर अनुसार स्किल्स लैब प्रशिक्षण, दक्षता प्रशिक्षण, सोनोग्राफी प्रशिक्षण, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- **प्रसव पूर्व जांच में गुणवत्ता** — भारत सरकार द्वारा निर्मित “अनमोल एप” में आवश्यक संशोधन कर विभाग द्वारा नवीन एप एमपीअनमोल बनाया गया जिसकी सहायता से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग संभव होगी। महिलाओं में एनीमिया के रोकथाम एवं उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज तथा अधिक प्रसव वाली संस्थाओं में इंजेक्शन एफसीएम एनीमिया प्रबंधन हेतु प्रयोग में किया जा रहा है। गंभीर एनीमिया के प्रबंधन हेतु ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील है।
- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन डिलेवरी पाईट के रूप में किया गया है। प्रदेश में 147 स्वास्थ्य संस्थाओं को एफआरयू के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जहां पर 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति सेवाएँ प्रदान की जाती है। लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत हाई डिलेवरी लोड वाली संस्थाओं के लेबर रूम एवं औ.टी. का राष्ट्रीय स्तर प्रमाणीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में 35 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल कॉलेज में ऑक्सटेट्रिक आईसीयू जटिलताओं के प्रबंधन हेतु स्थापित किये गये हैं।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** — प्रदेश अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं द्वारा शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने पर निशुल्क औषधि, भोजन, प्रयोगशाला जांच, यूएसजी, रक्ताधान एवं परिवहन हेतु निशुल्क वाहन की व्यवस्था की जाती है।
- **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना** — संगठित एवं असंगठित वर्ग के गर्भवती हितग्राहियों को प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करने एवं शासकीय संस्था में प्रसव कराने के उपरांत राशि रूपये 16000/- प्रावधानित है।
- **जननी सुरक्षा योजना** — योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रूपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रूपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
- **सुमन कार्यक्रम** — राज्य स्तर पर सुमन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कंमाड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तर पर 6 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में सुमन हेल्प डेर्स्क का संचालन कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन करने हेतु फॉलोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था की जा रही है।

१०/१०/२०२४